

**राजस्थान सरकार**  
**नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक: प.4(03)नविवि/II/2021 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक:

22 APR 2022

**आदेश**

श्री श्रवण कुमार, अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, सीकर (पैतृक विभाग-स्वायत्त शासन विभाग) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 31.07.2022 को सवानिवृत्त होने जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप श्री श्रवण कुमार को उनके पैतृक विभाग (स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर) में उपस्थिति देने हेतु एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, सीकर को उनके पत्र क्रमांक न.वि.न्या/स्थापना/2022/957 दिनांक 25.03.2022 के क्रम में।
6. श्री श्रवण कुमार, अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, सीकर।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-तृतीय